राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः—स .3—2 (1) स्था / एपी.पी.II / संविदा / अभि. / 2015 / 787694 दिनांक 15-7-16

—:आदेश:—

अभियोजन विभाग में भारी संख्या में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण विभिन्न न्यायालयों में राज्य की ओर से अभियोजकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत अभियोजन अधिकारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) ड़ी. ओ.पी. ए.II / 94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तो के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड—पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नही हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत अभियोजन अधिकारी को उनके नाम के सामने कालम संख्या 4 में अंकित न्यायालय में पैरवी हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दी जाती है।

क्र.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	न्यायालय जिसमें नियुक्ति की जाती है
1	2	3	4
1.	श्री हरीश चन्द्र शर्मा	04.07.1952	ए.सी.जे.(जेड़ी) जे.एम.न0 4 भरतपुर
2.	श्री नेमीचन्द जैन	21.01.1952	ए.सी.जे.(जेड़ी) जे.एम सवाईमाधोपुर
3.	श्री दिनेश चन्द गोयल	16.12.1951	ए.सी.जे.(जेड़ी) जे.एम करौली
4.	श्री किशनलाल छीपा	20.06.1953	ए.सी.जे.(जेड़ी) जे.एम न. 3 बीकानेर
5.	श्री लक्खी राम मीणा	09.08.1952	सी.जे.(जेड़ी) जे.एम करौली
6.	श्री अमीचन्द चौधरी	20.07.1952	सी.जे.(जेड़ी) जे.एम रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर

1. पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
2. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
4. पुनः नियुक्त अभियोजन अधिकारियों की सेवा दिनांक 28.07.2017 तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाए किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. इनके पारिश्रमिक का भूगतान बजट मद 2014—00—114—(02)(01)(41) (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश कार्मिक विभाग (क—2) की आई0ड़ी0 संख्या 673 दिनांक 11.07.2016 व वित्त(व्यय—4) विभाग की आई0डी0संख्या 181600717 दिनांक 13.07.2016 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें ।

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

Room No. 7226, Second Floor, Food Building Secretariate, Jaipur-302005 (Rajasthan) Phone No. 0141-2227806
Fax No. 0141-2227806
Website: www.prosecution.rajasthan.gov.in Email: dirpro1974@gmail.com

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रप–10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
5. उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर संभाग / बीकानेर।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर / सवाईमाधोपुर / करौली / बीकानेर / श्रीगंगानगर।
7. संबन्धित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर / सवाईमाधोपुर / करौली / बीकानेर / श्रीगंगानगर।
8. संस्थापन राजपत्रित शाखा / लेखा शाखा / रक्षित पत्रावली।

15/7/15

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

Room No. 7226, Second Floor, Food Building Secretariate, Jaipur-302005 (Rajasthan) Phone No. 0141-2227806
Fax No. 0141-2227806
Website: www.prosecution.rajasthan.gov.in Email: dirpro1974@gmail.com